पत्रावली बयान लोक हाजसह कैम्प कोर्ट हुरडा पर पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2, 3, 5, 6, 8, की ओर से श्री रामकल्याण जाट द्वारा" दस्तावेजात पेश किये जो शामिल पत्रावली है। वकील इस्तगासा के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस करने बाबत पर सहमति व्यक्त की गई। इस्तगासा की बहस सुनी गई।

मैंने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। तदनुसार दावा वादी दीपकुमार विरुद्ध जाता है। विवादग्रस्त विभाजित एवक है निस्तारण गया, जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली शुमार नहीं होने तक शामिल दफ्तर की जावे। आज दिनांक 18/6/18 को खुली लोक हाजसह कैम्प कोर्ट हुरडा पर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner